<u>यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर</u>

(पीठासीन अधिकारी : श्री छोगाराम देवासी, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 01/2017 (राजस्व अपील)
RCMS NO: 2017/00007

अनवान

1. श्री बाबूलाल पिता रामा मेघवाल, निवासी करदा, तहसील गोगुन्दा।

—प्रार्थी / अपीलान्ट

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार गोगुन्दा, जिला उदयपुर।

— विपक्षी / रेस्पोडेन्ट

उपस्थित

1. श्री राजेश कुमार शर्मा, अपीलान्ट अधिवक्ता।
2. श्री मनोज पंवार, राजकीय अधिवक्ता।

<u>अपील कार्यवाही अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956</u>
<u>अपील विरूद्ध प्रकरण सं. 01/2017 न्यायालय तहसीलदार गोगुन्दा आदेश दिनांक 21.04.17</u>

* <u>निर्णय</u> *

दिनांक— 18-01-2018

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने इस न्यायालय मे एक प्रार्थना पत्र अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश तहसीलदार गोगुन्दा मुकदमा संख्या 01 / 2017 निर्णय दिनांक 21.04.2017 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 24.03.2017 को अधिनस्थ न्यायालय मे अपीलान्ट के विरूद्ध इस आशय की रिपोर्ट पेश की कि अपीलान्ट श्री बाबूलाल पिता रामा मेघवाल द्वारा बिलानाम आराजी संख्या 3091 किस्म रास्ता पर पक्का निर्माण कर अतिक्रमण कर रखा है। इस पर अधिनस्थ न्यायालय ने धारा 91, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत अपीलान्ट के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किया, दिनांक 10.04.2017 को अपीलान्ट ने अपना जवाब पेश किया। अतिक्रमण स्वीकार करने पर उसे अपने ही हाथो से स्वयं के खर्चे पर तोड़ कर हटा दिया व मौके के फोटोग्राफ भी पेश किये, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट पटवारी से तलब कर सुनवाई तिथि 13.04.2017 नियत की गई। उक्त दिनांक को पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अपीलान्ट को ज्ञान नहीं था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को दुबारा नोटिस प्राप्त हुआ, जिसमे 21.04.2017 को पुनः तलब किया। अपीलान्ट दुबारा न्यायालय मे उपस्थित हुआ, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने मौका दिये बिना सीधे ही अपीलान्ट कि ओर से रास्ते पर अतिक्रमण करना स्वीकार किया ऐसा लिखते हुए उपरोक्त प्रकरण को उसी दिवस को 21.04.2017 को निस्तारित कर दिया एवं अपीलान्ट को अतिक्रमी मानते हुए भूमि से बेदखल करने का आदेश पारित किया व लगान का 50 गुना रूपया 50रू. शास्ति आरोपित कर अतिक्रमी को भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित कर दिये। अपीलान्ट द्वारा उक्त तिथि को अतिक्रमण स्वीकार नहीं किया था उसके द्वारा मात्र उपस्थिति स्वरूप हस्ताक्षर किये गये थे। अधिनस्थ

न्यायालय द्वारा पारित किया गया निर्णय न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्त के विरूद्ध हैं। अपीलान्ट को द्वितीय नोटिस का जवाब प्रस्तुत करने का अवसर ही प्रदान नही किया गया हैं। अपीलान्ट का मकान विगत 60 वर्षो से बना हुआ है। उक्त प्रकरण मे वर्णित आराजी संख्या 3091 पर अपीलान्ट का जो भी अतिक्रमण था, उसे प्रथम नोटिस प्राप्ति के पश्चात् ही हटा लिया गया था, जो अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत फोटोग्राफ से स्पष्ट हैं, फिर भी अपीलान्ट पर 50गुना शास्ति आरोपित करना अन्याय है। वर्तमान मे रोड़ भी बन गई है व वाहन आ जा रहे है। गांव मे ही भीमा पिता माना नामक अन्य व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण किया गया हैं, जिसके विरूद्ध भी प्रकरण दर्ज किया गया है है किन्तु मौके से न तो अतिक्रमण हटाया है और न कुछ कार्यवाही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार गोगुन्दा द्वारा प्रकरण संख्या 01/2017 मे पारित निर्णय दिनांक 21.04.2017 को अपास्त किया जावे व उक्त प्रकरण को नये सिरे से सुनवाई हेतु रिमाण्ड़ किया जावें। अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा अपीलान्ट के समर्थन मे गांव के व्यक्ति श्री प्रकाश पिता भगवानलाल, श्री ललित पिता परसराम खटीक, श्री मोतीलाल पिता लोगर को मौतबीर व्यक्ति बताते हुए गवाह शपथ पत्र भी पेश किये।

प्रकरण बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया गया एवं विपक्षी/रेस्पोडेन्ट को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली संख्या 01/2017 मय निर्णय दिनांक 21.04.2017 मंगवाई जाकर बहस हेतु तिथि नियत की गई।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को अपीलान्ट अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। बहस प्रांरभ करते हुए अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को विधि विपरित बताते हुए अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त कर प्रकरण को रिमाण्ड़ किये जाने बाबत् निवेदन किया एवं मौके की वर्तमान स्थिति मे फोटोग्राफ भी प्रस्तुत किये। राजकीय अधिवक्ता ने बहस मे भाग लेते हुए न्यायालय को अवगत कराया कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम करदा की आराजी सख्या 3091 किस्म रास्ता पर अपीलान्ट श्री बाबूलाल पिता रामा मेघवाल द्वारा पक्का निर्माण कर अतिक्रमण करने पर तहसीलदार गोगुन्दा द्वारा धारा 91, भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अतिक्रमी को नोटिस जारी किया गया। अतिक्रमी द्वारा न्यायालय के समक्ष जवाब प्रस्तुत कर मौके से अतिक्रमण स्वयं द्वारा हटा लिये जाने का उल्लेख करते हुए भूमि के फोटाग्राफ प्रस्तुत किये। इसकी पुष्टि हेतु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का से मौका रिपोर्ट मंगवायी गयी, जिसमे अपीलान्ट द्वारा पूर्ण रूप से कब्जा न हटाने का तथ्य ध्यान मे आने पर तहसीलदार द्वारा अपीलान्ट को पुनः नोटिस दिया गया एवं सुनवाई का अवसर दिया गया। अपीलान्ट द्वारा सुनवाई हेतु नियत तिथि को अधिनस्थ न्यायालय मे उपस्थित हो अतिक्रमण स्वीकार कर लेने पर ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकारोक्ति के आधार पर अतिक्रमी को भूमि से बेदखल करने एवं लगान 1रू. का 50 गुना शास्ति अर्थात 50रू. शास्ति आरोपित करने का आदेश पारित किया हैं, जो नियमानुसार है। अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 21.04.2017 यथावत रखा जावें।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली मे उपलब्ध अपीलान्ट के अपील प्रार्थना पत्र, दस्तावेजो, फोटोग्राफ, अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे वर्णित तथ्यो आदि अवलोकन किया एवं उसमे वर्णित तथ्यों पर गंभीरता से मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि मौजा करदा, तहसील गोगुन्दा की बिलानाम आराजी संख्या 3091 किस्म रास्ता पर अपीलान्ट श्री बाबूलाल पिता रामा मेघवाल द्वारा पक्का निर्माण कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट पर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार गोगुन्दा द्वारा प्रकरण अन्तर्गत धारा 91, भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत दर्ज कर नोटिस जारी किये। अपीलान्ट द्वारा न्यायालय मे उपस्थित हो स्वयं द्वारा अतिक्रमण हटा दिया जाना अधिनस्थ न्यायालय को अवगत कराया एवं मौके के फोटो प्रस्तुत किये गये। इसकी पुष्टि स्वरूप पटवारी हल्का से मौके की रिपोर्ट मंगवाये जाने पर पटवारी द्वारा अपीलान्ट के पूर्ण रूप से अतिक्रमण न हटाना अधिनस्थ न्यायालय को अवगत कराया, जिस पर तहसीलदार द्वारा पुनः धारा 91 का नोटिस अपीलान्ट को दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस दिनांक 13.04.2017 का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि अपीलान्ट को दुबारा जारी नोटिस दिनांक 13.04.2017 मे आराजी संख्या 3091 पर अतिक्रमण होना बताया गया, किन्तु कितने रकबे पर उसके द्वारा अतिक्रमण किया गया है अथवा कितने रकबे पर से अतिक्रमण नहीं हटाया गया है, इसका उल्लेख उक्त नोटिस मे नहीं है, जबकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इसका उल्लेख किया जाना आवश्यक था। इसके पश्चात् दिनांक 21.04.2017 को अपीलान्ट के अधिनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकारोक्ति के आधार पर प्रकरण निर्णित कर अपीलान्ट को मौके से बेदखल किये जाने का आदेश पारित किया है, जबकि अपीलान्ट का कथन है कि उसके द्वारा उपस्थिति स्वरूप ही हस्ताक्षर किये गये न की अतिक्रमण के संबंध मे स्वीकारोक्ति दी गई है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध दिनांक 21.04.2017 की कार्यवाही पर अपीलान्ट के हस्ताक्षर उपस्थिति स्वरूप ही होना प्रथम दृष्ट्या प्रतीत होता है, क्योंकि उक्त हस्ताक्षर के साथ कहीं भी स्वीकारोक्ति दिया जाना अंकित नहीं है। इससे यह प्रतीत होता है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र अपीलान्ट की उपस्थिति को ही स्वीकारोक्ति मानते हुए निर्णय पारित कर दिया है, जो उचित नहीं है। अपीलान्ट का कथन है कि वर्तमान मे भी रास्ते की भूमि की चौड़ाई को नापा जाये, तो उसका अतिक्रमण न होना स्पष्ट हो जायेगा। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को दुबारा जारी किये गये धारा 91 के नोटिस दिनांक 13.04.2017 मे अतिक्रमित रकबे का उल्लेख नहीं किया गया है अर्थात अपीलान्ट द्वारा कब्जा हटाने के उपरान्त भी यदि अतिक्रमण था, तो नियमानुसार नपती कर अतिक्रमित रकबे का धारा 91 के नोटिस मे उल्लेख करना चाहिये था, जो अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार गोगुन्दा द्वारा नहीं किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर हम उक्त बिंदुओं पर प्रकरण पुनः अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार गोगुन्दा, जिला उदयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 01/2017 मे पारित निर्णय दिनांक 21.04.2017 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार गोगुन्दा, जिला उदयपुर को इन

निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि हमारे द्वारा उपरोक्त किये गये परीक्षणों को दृष्टिगत रखते हुए संबंधित बिंदुओं पर जांच कर, नियमानुसार नपती कर, अपीलान्ट को सुनकर, साक्ष्य सबूत प्राप्त कर विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(छोगाराम देवासी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर